न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 109/2023

GCMS No. : 2023/249

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		शाकिर पुत्र मोहम्मद साबीर जाति मुसलमान निवासी गली नम्बर 06 आर्दश नगर बडगाव रोड शिवगंज सिरोही मैसर्स जी.पी.के. सुपर बाजार सोजत सिटी जिला पाली (फर्म मालिक)

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52"

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जनार्दन व्यास उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांकः 30/01/2025

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 19.01.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स जी.पी.के. सुपर बाजार, सोजत सिटी, जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम शाकिर पुत्र मोहम्मद साबीर बताया एवं स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) 10-12 पैकेट 500 ग्राम में रखे हुये थे। जो आमजन को बेचने के लिए रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर सरकारी जांच हेतु कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतत्र

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने से साथ आये आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 04 पैकेट कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 420/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1636 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर–1636 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/126/एक्ट/2023/169 दिनांक 02.02.2023 के अनुसार Mis-branded पाया गया, जिसकी सूचना अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। अप्रार्थी ने मौके पर किसी प्रकार का थोक विक्रेता/निर्माता कम्पनी का बिल/दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके लिए अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Mis-branded कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2)(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अप्रार्थी ने वक्त बहस एवं अपने लिखित जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की फर्म से कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) के सेम्पल लेते खाद्य सुरक्षा मानक के अनुसार सेम्पल नहीं लिया है, जो विधि के अनुसार औचित्यहिन है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को सेम्पल कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) की पुनः जाचं हेतु अवसर नहीं देकर बहुमूल्य

अति. जिला कलेक्टर पाली

अधिकार से वंचित किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की फर्म से कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) जो कि पैक अवस्था में था उसका सेम्पल लिया था जिसका उत्पादन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाता है जिस अवस्था में थोक विक्रेता से खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है, ऐसे में कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) निर्माता कम्पनी को पक्षकार बनाकर कार्यवाही की जानी थी, लेकिन प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में निर्माता कम्पनी/थोक विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाकर कानुनी भूल की है। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में सेम्पल कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) कब भेजा गया एवं किस दिनांक को सेम्पल की जाचं की गई उक्त जानकारी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर स्वतंत्र गवाह के स्थान पर अपने साथ आये कार्मिक को ही गवाह बना लिया जो कि मौके पर लिये गये सेम्पल लेने की प्रक्रिया की विश्वसनियता पर प्रश्न चिन्ह है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को प्रकरण से संबधित किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये जिससे अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने एवं पुनः जांच करवाने के अधिकार से वंचित किया जो नियम विरूद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना खारिज योग्य है। प्रार्थी ने पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज मौके पर नही बना कर ऑफिस में बैठकर की गई है, जिस पर गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है न ही नाम पता व शकुनत दर्ज है ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.01.2023 को अप्रार्थी के फर्म से लिया गया कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1636 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। मौके पर अप्रार्थी ने किसी प्रकार के दस्तावेज यथा कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) के थोक विक्रेता के बिल या निर्माता कम्पनी के बिल इत्यादि पेश नहीं किये, न ही प्रकरण न्यायालय में पेश करने तक कार्यालय में पेश किये, ऐसे में अप्रार्थी को ही पक्षकार संयोजित कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) का नमुना कोड संख्या आर–1636 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के फर्म से लिया गया कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) का नमुना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जाकर सुचना दी कि अगर फर्म मालिक नमुना संख्या आर–1636 की पुनः जांच करवाने चाहते है तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर–भीतर अभिहित अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है लेकिन फर्म मालिक द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पत्र प्रार्थी द्वारा प्रकरण न्यायालय में पेश किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की फर्म से कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) नमुना संख्या आर 1636 लेते समय एवं प्रकरण न्यायालय में पेश करते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की पालना की है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) कुंकिग मिडियम (ब्राण्ड गौरव) का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)